निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 54 / 2023
दायरा दिनांकः-06.09.2023
निर्णय दिनांकः- 30.4.25

उनवान

1. भुरी बाई आयु 40 वर्ष बेवा किशना जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी
2. गोमदा उर्फ गोविन्दराम पुत्र परमा जाति बंजारा निवासी मदनाखखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मन्नालाल आयु 60 वर्ष पुत्र रूपा जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी
2 मोतीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र रूपा जाति बजारा निवासी मदनाखेड़ी
3. गंगाराम आयु 45 वर्ष पुत्र रूपा जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी
4. पप्पू आयु 42 वर्ष पुत्र रूपा जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी
5. गंगाबाई आयु 63 वर्ष पुत्री रूपा पत्नी गोविन्द जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी हाल मानपुरा तहसील छबड़ा जिला बारा (राज०)
6. कमलाबाई आयु 61 वर्ष पुत्री रूपा जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी
7. कलियाबाई आयु 58 वर्ष पुत्री रूपा पत्नी खेमचंद जाति बंजारा निवासी ग्राम धामनिया जिला अशोक नगद म०प्र०
8. गौराबाई आयु 45 वर्ष पुत्री रूपा पत्नी श्योलाल जाति बंजारा निवासी ग्राम मदनाखेड़ी हाल बमीरगढ़ जिला गुना म०प्र०
9. हेमीबाई आय 79 वर्ष बेवा रूपा जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
10.भागीरथ आयु 60 वर्ष पुत्र परसा जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी तह०
11. हेमराज आयु 10 वर्ष नाबालिग पुत्र किशना जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी जर्ये वली माता भूरीबाई बेवा किशना
12. सुरेश आयु 8 वर्ष नाबालिग पुत्र किशना जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी जर्ये वली माता भूरीबाई बेवा किशना
13. कमलेशकुमारी आयु वर्ष नाबालिग पुत्र किशना जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी जर्ये वली माता भूरीबाई बेवा किशना
14 हेमराज आयु 60 वर्ष पुत्र रामा जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी
15. अमरसिंह आयु 58 वर्ष पुत्र रामा जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी
16 गंगाबाई आयु 70 वर्ष पुत्री रामा जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी
17 कल्लीबाई आयु 73 वर्ष पुत्री रामा जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी
18 गौराबाई आयु 60 वर्ष पुत्री रामा जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
19. पार्वती आयु 55 वर्ष पुत्री रामा पत्नी मोतीलाल जाति बंजारा निवासी मदनाखेड़ी हाल निवासी जगपुरा कोटा (राज०)
20. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 30.4.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश भार्गव – प्रार्थी
2. श्री उमाशंकर गोस्वामी – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैत्रिक कृषि आराजी खाता संख्या 176 / 174 की खसरा नंबर 419 / 323 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 463 / 524 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 464 रकबा 01 बीघा 03 विरवा, खसरा नंबर 460 रकबा 07 विनया, खसरा नंबर 07 बिस्वा, खसरा नंबर 467 (रकबा 01 बीघा 09 विस्वा, खसरा नंबर 470 रकबा 02 बिश्वा, खसरा नंबर 472 रकबा 05 बीघा 16 बिस्या, खरारा नंबर 479 रकबा 04 बीघा, खसरा नंबर 480 कबा 04 बीघा 01 बिस्या कुन किता 11 कुल रकबा 19 बीघा 19 विश्वा समभाग में ग्राम मदनाखेड़ी तहसील छबड़ा में स्थित है। इसी तरह खाता संख्या 109 / 103 की खसरा नंबर 469 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 471 रकबा 13 बिस्वा प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 से 19 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आए दिन सीमा विवाद के लिए लड़ाई–झगड़े होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमियात का विकास नहीं कर पा रहे है एवं ना ही प्रार्थीगण उक्त भूमियात संयुक्त खातेदारी में होने से सरकारी योजनाओं बैंक आदि का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। 4. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपने संयुक्त खातेदारी की आराजी को पृथक–पृथक कराने का कई बार निवेदन किया। परंतु हर बार प्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से टालमटोल करते रहे। अंतिम बार दिनांक 01.04.2023 को प्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपने राजस्व रिकार्ड को पृथक–पृथक कराने व तरमीम कराने हेतु निवेदन किया तो स्वयं चलकर खाता पृथक कराने से साफ इंकार कर दिया व नाराज होकर कहा कि हम कोई बंटवारा नहीं करेंगे, तब मजबूरन प्रार्थीगण को न्यायालय की शरण लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी सम्वत् 2077–80 खाता संख्या 176 नकल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी सम्वत् 2077–80 खाता संख्या 109 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा में स्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 19 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही है विवादित आराजी पैत्रक आराजी है पक्षकारान के मध्य आये दिन सीमा विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थीया अपवने हिस्से की भूमि का विकास नही कर पा रही है भूमि संयुक्त खातेदारी की होने के कारण सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

क–पृथक विभाजन कारकर अलग खातेदारी में दर्ज कराना चाहती है अप्रार्थीगण से सी सहमति से बटवारा कराने के लिए कहां परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा साफ इंकार कर या। तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी सम्वत् 2070–80 खाता संख्या 176 में किशना, भागीरथ गोविन्दराम पुत्र परसा हिस्सा 1/3 है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 17 में नामान्तरण संख्या 689 दिनांक 21.10.2020 से मृतक किशना के स्थान पर हेमराज, सुरेश, नाबा पुत्र कमलेश कुमारी नाबा की वली माता स्वंय दर्ज होने कका नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी सम्वत् 2077–80 खाता संख्या 109 में भागीरथ, किशना, गोविन्दराम, पुत्र परसा सेमी बेवा परसा जाति बंजारा सा0देह दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि मृतक किशना के स्थान पर उसके वारिसान का नाम दर्ज हुआ। विवादित आराजी से प्रार्थीगण अपना हिस्सा अलग खाते दर्ज करवाना चाहतें है। विवादित भूमि का निस्तारण मूल वाद में किया जाना है। विवादित आराजी शामलाती खातेदारी की है जब तक भूमि का बटवारा नही हो जाता तब तक यह नही कहा जा सकता कि किस खातेदारी की भूमि किस दिशा में है प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक खसरा नम्बर व प्रत्येक इंच पर हिस्सा होता है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योगय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)